परमाणु सुरक्षा में सेंध : कुडनकुलम संयंत्र पर साइबर हमला, हजारों फाइलें लीक

नई दिल्ली। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर साइबर हमले की खबर है। रैनसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर दावा किया है कि उसने संयंत्र से जुड़े 19,000 से अधिक दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इससे देश के अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये दस्तावेज करीब 8.58 लाख फाइलों के उस बड़े डाटा सेट का हिस्सा हैं, जिसे परियोजना से जुड़े ठेकेदार रिलायंस ग्रुप से चुराया गया। रिलायंस ग्रुप ने तीसरे पक्ष के डाटा सेंटर प्रोवाइडर योटा के सर्वर पर आंशिक डाटा उल्लंघन की पुष्टि की है। कंपनी ने कहा, मामले की जानकारी सरकार को दे दी है, हालांकि यह नहीं बताया कि कौन-सा डाटा प्रभावित हुआ।

- **रिपोर्ट के अनुसार,** ज्यादातर दस्तावेज यूनिट-3 व यूनिट-4 से जुड़े हैं, जिनका निर्माण जारी है और 2027 तक चालू होने की उम्मीद है।
- लीक फाइलों में वेंटिलेशन व कूलिंग सिस्टम के इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट, कॉमन कंट्रोल रूम के फ्लोर लेआउट, उपकरणों की निरीक्षण रिपोर्ट, सप्लायर सूची, वेंडर प्रस्ताव, बैठकों के रिकॉर्ड व बीमा से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।
- **कोई खतरा नहीं :** भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लि. ने डाटा लीक पर सुरक्षा चिंताओं को खारिज कर दिया है। निगम ने कहा, जो भी सूचनाएं लीक होने का दावा है, वह सामान्य ढांचे से संबंधित हैं। उनका परमाणु सुरक्षा या सुरक्षा प्रणाली से कोई संबंध नहीं है। एजेंसी

जौहर विवि पर चलेगा बुलडोजर

रामपुर। सपा के कद्दावर नेता आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार लटक गई है।

रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) के उपाध्यक्ष/डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने विवि परिसर में बने 40 में से 38 भवनों को बिना नक्शा पास कराए बनाने पर अवैध मानते हुए प्रबंधन को 20 दिन में खुद हटाने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा प्राधिकरण से ध्वस्त कराने और इसका खर्च वसूलने का आदेश दिया है। संवाद

चार्जिंग के दौरान ई-स्कूटी में धमाके से आग, दो जिंदा जले

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-66 स्थित ममूरा गांव में पेइंग गेस्ट (पीजी) की पांच मंजिला इमारत में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी धमाके के साथ फट गई।

इससे इमारत में लगी आग में एक युवती समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आग ने कुछ ही मिनटों में भूतल पर खड़े 18 से अधिक दोपहिया वाहनों को चपेट में ले लिया। दमकल की सात गाड़ियों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया। मृत युवती की पहचान बिहार की स्नेहा श्रीवास्तव (22) के रूप में हुई है। वहीं, मृत युवक मध्यप्रदेश निवासी ऋषभ (26) है। शुरुआती जांच में बिल्डिंग में आग से बचाव का कोई इंतजाम नहीं मिला। पुलिस ने केस दर्ज कर भवन मालिक और पीजी संचालक दिल्ली निवासी कृष्णा कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो

असम राइफल्स के कैंप पर हमला, 3 वाहन फूंके

इंफाल। मणिपुर के सेनापति जिले में संदिग्ध सशस्त्र एनएससीएन (आईएम) उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के अभियान के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने असम राइफल्स के कैंप पर हमला कर दिया। भीड़ ने कैंप पर पथराव किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और तीन वाहनों में आग लगा दी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, असम राइफल्स ने माकुइलोंगडी में मंगलवार रात गश्त व तलाशी अभियान शुरू किया था। रात करीब 9 बजे सेनापति में बड़ी संख्या में जुटे लोग नगा ताफौ स्थित असम राइफल्स के ऑपरेटिंग बेस की ओर बढ़ गए। 9:30 बजे भीड़ ने कैंप पर पथराव के साथ वाहनों को आग लगा दिया। दो ट्रकों को पलट दिया। ब्यूरो

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा : क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, प्रथम तल क्षेत्रीय कार्यालय, रुद्रपुर, गाबा चौक के पास, काशीपुर रोड, रुद्रपुर- 263153

ई-नीलामी सूचना

चल/अचल संपत्तियों की नीलामी सूचना "परिशिष्ट IV-A" नियम 6(2) एवं 9(1) देखें

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुन: निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सुरक्षा अधिनियम (पवर्तन) 2002 के साथ पठित नियम 6(2) एवं 9(1) के अधीन बैंक को बंधक रखी चल/अचल संपत्तियों की ई-नीलामी

सर्वसाधारण को साधारणतया एवं ऋणी एवं जमानतदार को विशेषतया यह सूचना दी जाती है कि निम्न वर्णित संपत्ति बैंक ऑफ बडौदा के पास बंधक है एवं जिसका कब्जा बैंक के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया है एवं बैंक की बकाया राशि मय ब्याज, खर्चे एवं कीमत इत्यादि सहित वसूलने हेतु निम्न शर्तो एवं नियमों के अंतर्गत ई-नीलामी द्वारा विक्रय की जा रही है। निम्न वर्णित संपत्तियां "जहां है जैसी है एवं जो है जैसी है" के आधार पर ई-नीलामी के द्वारा विक्रय की जायेंगी। बकाएदार/जमानतदार/सम्पत्ति/यों का विवरण/बकाया धनराशि/रिर्जव प्राईज/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, आरक्षित मूल्य एवं न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	रिजर्व प्राईज	दिनांक एवं ई-नीलामी के प्रारम्भ का समय	मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि / बकाया धनराशि
1.	1. **मैसर्स सम्राट एंटरप्राइजेज,** द्वारा इसके प्रोपराइटर श्रीमती मोनिका अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल, प्लॉट नं. 8/1, हिमालयन फूड पार्क, महुआखेड़ा, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 2. श्रीमती मोनिका अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल (प्रोपराइटर मैसर्स सम्राट एंटरप्राइजेज), पता- प्लॉट नं. 8/1, हिमालयन फूड पार्क, महुआखेड़ा, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 3. श्रीमती राजबाला अग्रवाल पत्नी श्री राकेश अग्रवाल (जमानती), पता- वार्ड नं. 11, मोहल्ला ओझान, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 4. श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार अग्रवाल (जमानती), पता- वार्ड नं. 11, मोहल्ला ओझान, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 5. श्रीमती दिशा अग्रवाल पत्नी श्री गौरव अग्रवाल (जमानती), पता- वार्ड नं. 11, मोहल्ला ओझान, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 6. श्रीमती दीप्ति अग्रवाल पत्नी श्री सौरभ अग्रवाल (जमानती), पता- वार्ड नं. 11, मोहल्ला ओझान, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 7. श्री संजीव अग्रवाल पुत्र एमआर शंकर लाल (जमानती) पता- हाउस नं. 24 बी/2, आदर्श कॉलोनी, सिविल लाइन्स, रामपुर, उत्तर प्रदेश-244901 8. श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री मोहब्बे अली (जमानती), पता-मोहल्ला अल्लीखां, वार्ड नंबर 10, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713	बंधक अचल सम्पत्ति (**भूमि व भवन**) के सभी भाग व हिस्से जो कि **खसरा सं. 304, 305, प्लॉट सं. 8/1 महुआखेड़ा गंज, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर** में स्थित है। **क्षेत्रफल 21520 वर्ग फुट या 2000 वर्ग मीटर।** सम्पत्ति **श्रीमती मोनिका अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल के नाम पर विधिवत पंजीकृत है (लीज डीड सीरियल सं. 6348, दिनांक 01.09.2017 को हिमालयन फूड पार्क द्वारा श्रीमती मोनिका अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल के पक्ष में जारी की गई है)।** सीमायें (लीज डीड के अनुसार)-पूरब में दूसरों के प्लॉट, पश्चिम में दूसरों के प्लॉट, उत्तर में 15 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण में चक रोड।	₹ 2,03,15,000.00 ईएमडी ₹ 20,31,500.00 न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि ₹ 25,000.00 नियम एवं शर्तों के लिए कृपया इस क्यू आर को स्कैन करें	06.08.2026 अपरान्ह 12:00 से सायं 05:00 कब्जे का प्रकार भौतिक कब्जा	05.01.2024 20.05.2024 ₹ 3,59,39,936.00 (रुपये तीन करोड़ उनसठ लाख उनतालीस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) + ₹ 14,73,943.15 (रुपये चौदह लाख तिहत्तर हजार नौ सौ तितालिस एवं पैसे पंद्रह मात्र) (अप्राप्त ब्याज) + अप्रयुक्त ब्याज + कानूनी शुल्क + अन्य शुल्क एवं ब्याज 26.12.2023 से प्रभावी

विक्रय के निबन्धन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया हमारी वेबसाईट *https://www.bankofbaroda.in/e-auction.html* एवं *https://baanknet.com* देखें। भावी बोली दाता प्राधिकृत अधिकारी, मो0-8477000519, 8477009621 से भी सम्पर्क कर सकते हैं। नोट : किसी भी त्रुटि या विवाद की स्थिति में इस नीलामी नोटिस का अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 16.07.2026 को प्रकाशित नोटिस मान्य होगा।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय : 01.08.2026 को अपरान्ह 12 बजे से सायं 05:00 बजे तक

सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत बिक्री हेतु 15 दिन का कानूनी नोटिस

एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि वे उपरिवर्णित राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चो सहित नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, की वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

दिनांक : 15.07.2026 स्थान : बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, रुद्रपुर **प्राधिकृत अधिकारी**

SBI स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

शाखा : एएमसीसी, सितारगंज, जिला उधमसिंह नगर

कब्जा सूचना (8 नियम (1) के तहत अचल सम्पत्तियों के लिए)

एतद्द्वारा, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एएमसीसी सितारगंज शाखा, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पठित धारा 13 (2) के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्न वर्णित ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं को मांग सूचना पत्र निम्नवर्णित तिथियों को भेजे गये कि वे उक्त नोटिस/सों की प्राप्ति/नोटिस जारी करने की तिथि के 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित मांग सूचना पत्र में दी गयी राशि का भुगतान कर दें। ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं और सर्वसाधारण को समान्यत: एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सपठित नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को ले लिया गया है। ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं को विशिष्टत: और सर्वसाधारण को सामान्यत: सर्तक (सावधान) किया जाता है कि वह निम्नलिखित सम्पत्तियों के साथ कोई लेन-देन न करें। जमानती आस्ति को मुक्त कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा के सम्बन्ध में ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं/गारन्टीकर्ता/ओं का ध्यान सरफेसी की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। सम्पत्तियों से किया गया किसी भी प्रकार का लेन-देन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एएमसीसी सितारगंज शाखा, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड के ऋण भार के निम्नलिखित वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा।

खाते/बकायेदार का नाम व पता	अचल परिसम्पत्तियों का विवरण	कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि को बकाया धनराशि
1. प्रेक्षा हुरिया पुत्री केवल कृष्णा हुरिया, पता शक्ति टेण्ट हाउस, बरेली रोड, किच्छा, तहसील किच्छा, जिला उधमसिंह नगर।	बंधक अचल सम्पत्ति (रिहायशी इमारत) जो कि खेत नंबर 458, वार्ड नंबर 6 किच्छा तहसील किच्छा जिला उधम सिंह नगर में है। दिनांक 03.02.2014 के वैल्यूएशन के अनुसार, प्रॉपर्टी की असली कीमत 2784060/- रुपये है।	10.07.2026 डिमांड नोटिस की तिथि 08.05.2025	₹ 10,00,739.00 (रुपये दस लाख सात सौ उन्तालिस केवल) + अप्रयुक्त ब्याज दिनांक 08.05.2025 से + अन्य खर्च

दिनांक : 16.07.2026 स्थान : सितारगंज, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड **प्राधिकृत अधिकारी**